

उपरोक्त उपाख्यत नही होने के कारण एक पक्षीय कार्य-
वाही अमल में लाई जाती है परावली वास्ते नदम दिनांक
११/१५ को पेश है।

राजस्थान अतिरिक्त राज्य न्याय / अकाश /
पोस्टोफिस कार्यालय में अस्त रजम के कारण
आज दिनांक १-९-२५ की तारीख
वैशी आगमने दिनांक

१८-९-२५

परावली पेश की। वकील शर्मा उपस्थित। प्रकरण में
TDRSWM की रिपोर्ट प्राप्त। प्रकरण में TDRSWM की
रिपोर्ट का अवलोकन किया। TDRSWM ने अपनी रिपोर्ट
में बताया कि शर्मागण दारा ख. न. ८९६ की भेड के सट्टे-
सट्टे रकम १०५ से रास्ता चाहा गया था। अब भेड
पर वादीगण दारा अन्य ख. न. से रास्ता ले लिया है। प्रकरण
में रास्ता की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में TDRSWM
की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वकील शर्मा की वदस
सूनी। वकील शर्मा ने भी TDRSWM की रिपोर्ट के
अनुसार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का
निवेदन किया। प्रकरण में वकील शर्मा की वदस सूनी
प्रकरण में शर्मा को रास्ता नहीं चाने के कारण प्रकरण
को खारिज किया जाता है। परावली पिसल शुभार
होकर नवंबर से कम किया जाकर दफ्तर दारिबला है।

